सत्यमेव जयते

सप्तदश बिहार विधान सभा

प्रत्यायुक्त विधान समिति

का

पंचम प्रतिवेदन

(परिवहन विभाग)

(दिनांक 13/02/2024 को सदन में उपस्थापित)

बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति द्वारा प्रकाशित ।

विषय-सूची

	पृष्ठ
1. प्रत्यायुक्त विधान समिति के सदस्यों की सूची एवं प्रत्यायुक्त विधान समिति शाखा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची	क
2. प्राक्कथन	ख
3. प्रतिवेदन	1-2
4. परिशिष्ट	3-21

बिहार विधान सभा सचिवालय

बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति (वर्ष 2023–2024) के सदस्यों की सूची--

सभापति

1. श्री अजीत शर्मा — स० वि० स०

सदस्यगण

1. डॉ० सुनील कुमार — स० वि० स०
2. श्री राजू कुमार सिंह — स० वि० स०
3. श्री सुरेन्द्र मेहता — स० वि० स०
4. श्री आबिदुर रहमान — स० वि० स०
5. श्री अनिरूद्ध कुमार — स० वि० स०
6. श्री प्रेम शंकर प्रसाद — स० वि० स०
7. श्रीमती प्रतिमा कुमारी — स० वि० स०
8. श्री रामबली सिंह यादव — स० वि० स०
9. श्री नितिन नवीन — स० वि० स०
10. श्री अरूण कुमार सिन्हा — स० वि० स०
11. श्रीमती नीतु कुमारी — स० वि० स०
12. श्रीमती शालिनी मिश्रा — स० वि० स०
13. श्रीमती मीना कुमारी — स० वि० स०

बिहार विधान सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची--

1. श्री राज कुमार — सचिव
2. श्री पवन कुमार पाण्डेय — संयुक्त सचिव
3. श्री राजीव कुमार — निदेशक
4. श्री अमलेन्द्र प्रसाद महतो — उप-सचिव
5. श्री सुशील कुमार — प्रशाखा पदाधिकारी
6. श्री पंकज कुमार राय — सहायक
7. श्री संजय कुमार-2 — सहायक

प्राक्कथन

17वीं बिहार विधान सभा के दौरान दसवें प्रतिवेदन को तैयार कर प्रस्तुत करने में मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है । पिछले तीन वर्षों में समिति द्वारा चार प्रतिवेदन तथा पांच विशेष प्रतिवेदन सहित कुल 9 प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किये गये हैं । विशेष प्रतिवेदन संख्या 2 को हूबहू सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू किया गया जो समाचार-पत्रों की सुर्खियां भी बना ।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा०का०नि०-879 (अ), दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम में संशोधन किया गया जिसके आधार पर राज्यों को भी संशोधन करना अपेक्षित होता है । बिहार सरकार द्वारा भी उपर्युक्त संशोधित नियमावली को जनवरी, 2023 में लागू किया गया । इस संशोधन से निजी और सरकारी क्षेत्र के पात्र कर्मियों के लिये व्यवस्था की गयी कि उनकी पुरानी गाड़ियों को भी BH Series आवंटित किया जा सकता है । BH Series का आवंटन दोनों ही राज्य कर सकते हैं या तो कार्यस्थल का राज्य अथवा स्थायी आवास का राज्य ।

समिति ने महसूस किया कि यह बिहार के लिये बिना कोई खर्च किये राजस्व संग्रहण का एक अच्छा अवसर है । राज्य के लाखों बच्चे बाहर हैं, उनकी गाड़ियों को स्थायी आवास के आधार पर बिहार राज्य में यदि BH Series में निबंधित किया जाय तो अच्छी खासी आय होगी ।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में परिवहन विभाग की ओर से जो सहयोग दिया गया है समिति उसके लिये उन्हें धन्यवाद देती है ।

समिति शाखा के कर्मियों ने जो सहयोग और परिश्रम किया है उसके लिये समिति उन्हें धन्यवाद देती है ।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में समय-समय पर श्री श्रीरमण सिंह, मुख्य प्रतिवेदक, बिहार विधान सभा सचिवालय से सहयोग प्राप्त किया गया है । उनके सहयोग के लिये समिति उन्हें धन्यवाद देती है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन के बिना इस प्रतिवेदन को तैयार करना संभव नहीं था इसलिये मैं विशेष रूप से उन्हें धन्यवाद देते हुये उनका आभार व्यक्त करता हूँ ।

दिनांक 30 नवम्बर, 2023 (ई०) ।

अजीत शर्मा,
सभापति,
प्रत्यायुक्त विधान समिति,
बिहार विधान सभा ।

प्रतिवेदन

प्रतिवेदन

परिवहन विभाग के नियम, उप-नियम, विनियम आदि से संबंधित विमर्श के दौरान समिति के समक्ष कुछ प्रश्न उभरकर आये जिसे सभा सचिवालय के पत्रांक 2306, दिनांक 12 सितम्बर, 2023 (परि०-1) द्वारा विभाग को भेजकर उस पर उत्तर प्राप्त करने का निर्णय लिया गया तथा तत्संबंधी बैठक दिनांक 27 सितम्बर, 2023 को रखी गयी । बैठक के लिये प्रश्नावली निम्न प्रकार है:--

1. BH Series अपडेट सर्कुलर/नियम क्या है ?

2. BH Series के अंतर्गत कितने आवेदन आये, कितने को स्वीकृत किया गया ?

3. नई गाड़ियों के साथ-साथ पुरानी गाड़ियों को भी BH Series दिये जाने का प्रावधान किया गया है, उसके अनुपालन के लिये प्रचार-प्रसार की क्या व्यवस्था की गई है और क्या किसी पुरानी गाड़ी को BH Series का नम्बर आवंटित किया गया है ?

4. ड्राइविंग लाइसेंस के लिये सर्कुलर/नियम क्या है और कब लागू किया गया है ?

विभाग के पत्रांक 7385, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 द्वारा समिति को प्रश्नावली का उत्तर उपलब्ध कराया गया (परि०-02) जिसमें क्रमशः उल्लेख किया गया है कि--

1. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा०का०नि०-594(अ), दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली के नियमों में संशोधन करते हुये सरकारी एवं निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले पदाधिकारी एवं कर्मचारी हेतु प्रावधान किये गये हैं, जिसे परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या 7443, दिनांक 25 नवम्बर, 2021 द्वारा यथास्थिति बिहार राज्य में लागू किया गया है । पुनः सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा०का०नि०-879(अ), दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 द्वारा BH Series के उपर्युक्त नियमों में किये गये संशोधन को परिवहन विभाग के पत्रांक 201, दिनांक 11 जनवरी, 2023 द्वारा यथास्थिति बिहार राज्य में लागू किया गया है ।

2. राज्य के सभी जिलों में BH Series के अंतर्गत निबंधन हेतु कुल 3,399 आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिसके विरुद्ध कुल 3,203 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं ।

3. नयी गाड़ियों के साथ-साथ पुरानी गाड़ियों को भी BH Series के अंतर्गत निबंधन का प्रावधान है । जानकारी हेतु संबंधित अधिसूचना/पत्र की प्रति परिवहन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर दी गयी है । अबतक BH Series के अंतर्गत पुरानी गाड़ियों के निबंधन हेतु कुल 02 आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिसे स्वीकृत किया गया है ।

4. ड्राईविंग लाइसेंस का निर्गमन संबंधी प्रावधान केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 के अध्याय-2 के नियम-3 से 28 तक में तथा मोटरवाहन नियमावली, 1989 के अध्याय-2 के नियम-3 से 23 तक में उल्लिखित हैं, जो दिनांक 1 जुलाई, 1989 से प्रवृत्त हैं ।

जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त BH Series से संबंधित जो प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराया गया उसके अवलोकन से पता चलता है कि BH Series में अपेक्षित संख्या के अनुरूप रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है । जहां तक पुराने वाहनों के BH Series हेतु आवेदन एवं स्वीकृति का प्रश्न है उसकी संख्या तो मात्र दो है (परि०-3) ।

समिति को यह महसूस होता है कि पुरानी गाड़ियों के लिये भी BH Series लिया जा सकता है इसके बारे में बिहार के लोगों को अवगत नहीं कराया गया है । भारत सरकार द्वारा BH Series के तहत पुरानी गाड़ियों को भी निबंधित किये जाने की अधिसूचना दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 को निर्गत कर नियमों में संशोधन किया गया जिसे राज्य में दिनांक 11 जनवरी, 2023 से लागू किया गया है लेकिन समिति को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि पुरानी गाड़ियों को BH Series नंबर आवंटन के बारे में राज्य के जिला परिवहन

कार्यालयों और डीलर तक को जानकारी नहीं है । विभाग द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया है उसमें भी बताया गया है । उसमें भी बताया गया है कि जानकारी हेतु संबंधित अधिसूचना की प्रति परिवहन विभाग के वेबसाईट पर अपलोड कर दी गयी है । समिति द्वारा परिवहन विभाग की वेबसाईट पर पुरानी गाड़ियों के BH Series दिये जाने से संबंधित नियमाली की अधिसूचना लागू करने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को खोजा गया था लेकिन वह अधिसूचना दिनांक 25 सितम्बर, 2023 के पूर्व तक अपलोडेड नहीं थी ।

समिति की समझ बनती है कि "बूंद-बूंद से तालाब भरता है" की अवधारणा को सामने रखकर राज्य के राजस्व संग्रहण करने वाले हर विभाग को अधिक-से-अधिक टैक्स जमा करने का प्रयास करना चाहिये । BH Series के तहत पुरानी गाड़ियों को निबंधन देना भी उसी प्रयास की कड़ी साबित होगा । राज्य के लाखों बच्चे अन्य राज्यों में निजी क्षेत्रों में जॉब कर रहे हैं । जिनमें से अधिकांश लोगों के पास गाड़ियां हैं । BH Series के तहत पुरानी गाड़ियों का भी निबंधन संभव है । यह जानकारी उनके बीच नहीं रहने के कारण जब वे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर जॉब करते हैं तो उस राज्य का रजिस्ट्रेशन नम्बर सरेंडर कर दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जिससे उनको भारी आर्थिक क्षति होती है । परिवहन विभाग यदि एक अभियान चलाकर राज्य के नागरिकों के समक्ष इस बात को रखे कि बिहार के स्थायी निवासियों के लिये पुरानी गाड़ियों को BH Series में परिवर्तित कराने हेतु बिहार में परेशानी मुक्त व्यवस्था कर दी गयी है तो लोग इच्छुक होंगे और हजारों पुरानी गाड़ियों का भी रजिस्ट्रेशन BH Series के तहत हो सकता है, जिससे राज्य को एक बहुत बड़े राजस्व की प्राप्ति होगी ।

अतः समिति निम्नांकित निष्कर्ष पर पहुँचती है:-

निष्कर्ष

पुरानी गाड़ियों को BH Series आवंटित करने से संबंधित विवरण की मात्र 02 की संख्या यह दर्शाती है कि राज्य के परिवहन कार्यालय भी इस नियम से अनभिज्ञ हैं । समिति महसूस करती है कि पुरानी गाड़ियों के लिये BH Series से संबंधित संशोधित नियमावली का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिये और बिहार के स्थायी निवासी परंतु रोजगार के सिलसिले में बाहर रह रहे बच्चों को BH Series लेने के लिये आकर्षित करने के उपाय किये जाने चाहिये । BH Series आवंटन की प्रक्रिया को पेपरलेस और पूर्णतः ऑनलाइन कर देने से वाहन स्वामी राज्य के बाहर रहते हुये ही NOC एवं संबंधित दस्तावेज को ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे । यह उनके लिये प्रोत्साहन होगा और इससे न सिर्फ वाहन स्वामी ही आकर्षित होंगे बल्कि पूरे देश के लिये बिहार का यह कदम एक नजीर बनेगा ।

अतः समिति निम्नांकित अनुशंसा करती है:-

अनुशंसा

1. पुरानी गाड़ियों के पात्र स्वामियों को BH Series दिया जा सकता है इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये ।

2. पुरानी गाड़ियों को BH Series में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पेपरलेस करते हुये पूर्णतः ऑनलाइन किया जाये ।

अजीत शर्मा,
सभापति,
प्रत्यायुक्त विधान समिति,
बिहार विधान सभा ।

दिनांक 30 नवम्बर, 2023 (ई०) ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

पत्र संख्या प्र०वि०स०-09/2022-2306/वि०स०

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

अमलेन्द्र प्रसाद महतो,
उप-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में

सचिव,
परिवहन विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 12 सितम्बर, 2023 (ई०) ।

विषय--संविधान या विधान मंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, विधि, उपविधि आदि बनाने में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के सम्परीक्षण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 27 सितम्बर, 2023 को 11:30 बजे पूर्वाह्न् में आपके साथ बिहार विधान सभा के विस्तारित भवन के समिति कक्ष में बैठक निर्धारित की गयी है । जिसमें समिति पूर्व में लंबित विषयों के साथ निम्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श करेगी:—

1. BH Series अपडेट सर्कुलर/नियम क्या है ?
2. BH Series के अन्तर्गत कितने आवेदन आये, कितनों को स्वीकृत किया गया ?
3. नई गाड़ियों के साथ-साथ पुरानी गाड़ियों को भी BH Series दिये जाने का प्रावधान किया गया है, उसके अनुपालन के लिये प्रचार-प्रसार की क्या व्यवस्था की गई है और क्या किसी पुरानी गाड़ी को BH Series का नम्बर आवंटित किया गया है ?
4. ड्राइविंग लाईसेंस के लिये सर्कुलर/नियम क्या है और कब से लागू किया गया है ?

अत: अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन चौदह प्रतियों में समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराने एवं समिति की दिनांक 27 सितम्बर, 2023 को 11:30 बजे पूर्वाह्न की बैठक में भाग लेने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
अमलेन्द्र प्रसाद महतो,
उप-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

परिशिष्ट-II

पत्रांक-01/वि०स० (सम्परीक्षण)-02-93/2023-परि०-7385

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

प्रेषक

सुधीर कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

श्री अमलेन्द्र प्रसाद महतो,
उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 (ई०) ।

विषय--संविधान या विधान मंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, विधि, उपविधि आदि बनाने में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के सम्परीक्षण के संबंध में ।

प्रसंग--आपका पत्रांक 2306, दिनांक 12 सितम्बर, 2023 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 27 सितम्बर, 2023 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में बैठक से संबंधित प्रश्नावली का उत्तर निम्नवत् है:--

क्र०सं०	प्रश्नावली	उत्तर
1.	BH Series अपडेट सर्कुलर/नियम क्या है ?	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-सा०का नि०-594(अ), दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली के नियमों में संशोधन करते हुये सरकारी एवं निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले पदाधिकारी एवं कर्मचारी हेतु प्रावधान किये गये हैं, जिसे परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-7443, दिनांक 25 नवम्बर, 2021 द्वारा यथास्थिति बिहार राज्य में लागू किया गया है । पुनः सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा०का०नि०-879 (अ), दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 द्वारा BH Series के उपर्युक्त नियमों में किये गये संशोधन को परिवहन विभाग के पत्रांक 201, दिनांक 11 जनवरी, 2023 द्वारा यथास्थिति बिहार राज्य में लागू किया गया है ।

2.	BH Series के अन्तर्गत कितने आवेदन आये, कितने को स्वीकृत किया गया ?	राज्य के सभी जिलों में BH Series के अन्तर्गत निबंधन हेतु कुल 3,399 आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिसके विरुद्ध कुल 3,203 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं ।
3.	नई गाड़ियों के साथ-साथ पुरानी गाड़ियों को भी BH Series दिये जाने का प्रावधान किया गया है उसके अनुपालन के लिये प्रचार-प्रसार की क्या व्यवस्था की गई है और क्या किसी पुरानी गाड़ी को BH Series का नम्बर आवंटित किया गया है ?	नयी गाड़ियों के साथ-साथ पुरानी गाड़ियों को भी BH Series के अन्तर्गत निबंधन का प्रावधान है । जानकारी हेतु संबंधित अधिसूचना/पत्र की प्रति परिवहन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर दी गयी है । अबतक BH Series के अन्तर्गत पुरानी गाड़ियों के निबंधन हेतु कुल 02 आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिसे स्वीकृत किया गया है ।
4.	ड्राइविंग लाईसेंस के लिये सर्कुलर/नियम क्या है और कब लागू किया गया है ?	ड्राइविंग लाईसेंस का निर्गमन संबंधी प्रावधान केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 के अध्याय-2 के नियम-3 से 28 तक में तथा मोटरवाहन नियमवली, 1989 के अध्याय-2 के नियम-3 से 23 तक में उल्लिखित हैं, जो दिनांक 1 जुलाई, 1989 से प्रवृत्त हैं ।

अत: वाँछित प्रतिवेदन की चौदह प्रतियाँ भेजा जा रहा है ।
कृपया पावती स्वीकार की जाय ।
अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
सुधीर कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

जिला परिवहन कार्यालयों से प्राप्त BH-Series से संबंधित प्रतिवेदन

क्र0सं0	जिला का नाम	BH-Series हेतु प्राप्त कुल आवेदन की सं0	नये वाहन के BH-Series हेतु प्राप्त आवेदन की सं0	पुराने वाहन के BH-Series हेतु प्राप्त आवेदन की सं0	नये वाहन के BH-Series हेतु		पुराने वाहन के BH-Series हेतु		लंबित आवेदन की कुल सं0
					स्वीकृत	अस्वीकृत	स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	Araria	25	25	0	25	0	0	0	0
2	Arwal	11	11	0	11	0	0	0	0
3	Aurangabad	13	13	0	13	0	0	0	0
4	Banka	4	4	0	4	0	0	0	0
5	Begusarai	306	306	0	301	0	0	0	5
6	Bettiah	30	30	0	30	0	0	0	0
7	Bhagalpur	13	13	0	13	0	0	0	0
8	Bhojpur	124	124	0	124	0	0	0	0
9	Buxar	33	33	0	30	0	0	0	3
10	Darbhanga	41	41	0	41	0	0	0	0
11	Gaya	116	116	0	115	0	0	0	1
12	Gopalganj	15	15	0	15	0	0	0	0
13	Jamui	11	10	0	10	1	0	0	0
14	Jehanabad	8	8	0	8	0	0	0	0
15	Kaimur	15	15	0	11	4	0	0	0
16	Katihar	22	22	0	22	0	0	0	0
17	Khagaria	27	26	24	1	0	0	0	0
18	Kishanganj	9	9	0	9	0	0	0	0
19	Lakhisarai	7	7	0	7	0	0	0	0
20	Madhepura	3	3	0	3	0	0	0	0
21	Madhubani	19	19	0	19	0	0	0	0
22	Motihari	87	87	0	79	8	0	0	0
23	Munger	16	16	0	16	0	0	0	0
24	Muzaffarpur	455	455	0	455	0	0	0	0
25	Nalanda	45	45	0	45	0	0	0	0
26	Nawada	37	30	0	30	7	0	0	0
27	Patna	1567	1567	2	1435	130	2	0	0
28	Purnea	38	38	0	38	0	0	0	0
29	Rohtas	50	50	0	49	0	0	0	1
30	Saharsa	12	12	0	12	0	0	0	0
31	Samastipur	34	34	0	34	0	0	0	0
32	Saran (Chapra)	53	53	0	51	2	0	0	0
33	Sheikhpura	3	3	0	3	0	0	0	0
34	Sheohar	3	3	0	3	0	0	0	0
35	Sitamarhi	4	0	4	0	0	0	0	0
36	Siwan	114	114	0	114	0	0	0	0
37	Supaul	2	2	0	2	2	0	0	0
38	Vaishali	27	27	0	25	1	0	0	1
	TOTAL	3399	3386	30	3203	155	2	0	11

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक–02/08–01/2021, परि0 ..20/

प्रेषक,

जिला परिवहन पदाधिकारी (मुख्यालय),
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 11/1/2023

विषय– BH Series से संबंधित केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के विभिन्न नियमों में किये गये संशोधन के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग– सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0–सा0का0नि0– 879(अ), दिनांक–14.12.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0–सा0का0नि0–879(अ), दिनांक–14.12.2022 द्वारा BH Series से संबंधित केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम–48 के उपनियम–1, नियम–51(ख), नियम–51(ख) के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप 27(क) – (BH श्रृंखला में नये पंजीकरण चिन्ह के समनुदेशन के लिए आवेदन), नियम–47 (1)(गक) के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप–60 (कार्य प्रमाण पत्र) में संशोधन किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है, संशोधित प्रावधान के मुख्य कार्यकारी बिन्दु निम्नवत् है:–

1. BH Series की अर्हता रखने वाले आवेदक BH Series के अन्तर्गत निबंधन के लिए संबंधित राज्य के किसी भी निबंधन प्राधिकार को आवेदन समर्पित किया जा सकेगा, जिसमें वाहन स्वामी का स्थायी निवास या कार्य का स्थान हो।

2. BH Series के अन्तर्गत निबंधित वाहन को किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से स्थानांतरित किया जाता है जो BH Series के लिए पात्र नहीं है, तो ऐसे वाहनों पर संबंधित राज्य में प्रचलित नियमित निबंधन सिरीज से नया निबंधन चिन्ह दिया जायेगा एवं संबंधित राज्य के करारोपण नियमों के अनुसार मोटरवाहन कर का भुगतान करना होगा।

3. यदि किसी समय BH Series के अन्तर्गत निबंधित वाहन का स्वामी BH Series के लिए पात्र नहीं रहता है, तो वैसा वाहन शेष अवधि, जिसके लिए कर का भुगतान किया जा चुका है, के लिए BH Series के तहत् निबंधित रहेगा।

4. नियमित सिरीज में निबंधित वाहन का स्वामी BH Series के लिए पात्र है तो वे अपने वाहन का BH Series के अन्तर्गत निबंधन के लिए विकल्प चुनेंगे एवं ऐसे वाहन के स्वामी राज्य के किसी भी निबंधन प्राधिकरण, जिसमें वाहन वर्तमान में निबंधित है, को BH Series के अन्तर्गत निबंधन चिन्ह समानुदेशन के लिए प्रारुप–27A (नया प्रारुप जोड़ा गया है) में आवेदन करेगा ।

5. निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदकों हेतु BH Series के मामले में पूर्व में निर्धारित प्रारुप 60 को संशोधित किया गया है ।

अतः सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0–सा0का0नि0–879(अ), दिनांक–14.12.2022 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। पूर्व में एतद संबंधी निर्गत सभी पत्रों को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन

09/01/2023

जिला परिवहन पदाधिकारी (मुख्यालय),
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122022-241119
CG-DL-E-15122022-241119

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 785]	नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 2022/अग्रहायण 23, 1944
No. 785]	NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2022/AGRAHAYANA 23, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 879(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 762(अ), तारीख 04 अक्तूबर, 2022 द्वारा तारीख 04 अक्तूबर, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, उस तारीख से, जिसको प्रारूप नियमों में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिनों की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 06 अक्तूबर, 2022 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 के खंड (क), खंड (थ) और खंड (ढ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (तेईसवां संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में तारीख उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 47 के उपनियम (1) की मद (गड़) में "अधिकारिक पहचान पत्र" शब्दों के पश्चात् "या सेवा प्रमाणपत्र" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

(3) उक्त नियम के 48 के उपनियम (1) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु ऐसे बी एच श्रृंखला के अन्तर्गत यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, जिसका यान के स्वामी द्वारा स्वेच्छा से विकल्प लिया गया है, ऐसे राज्य के किसी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें यान के स्वामी का या तो स्थायी निवास है या कार्य का स्थान है और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह्, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा, यथास्थिति, प्ररूप 60 में कार्यकरण प्रमाणपत्र या शासकीय पहचान पत्र/सेवा प्रमाणपत्र के सत्यापन के पश्चात् पोर्टल के माध्यम से यादृच्छिक रूप से सृजित किया जाएगा।"।

4. उक्त नियम के नियम 51ख में,--

(क) उपनियम (3), के परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्:--

"परन्तु यह और कि बी एच श्रृंखला में किसी रजिस्ट्रीकृत यान को किसी ऐसे व्यक्ति के नाम में अन्तरित किया जाता है, जो नियम 47 के उपनियम (1) के खंड (गक) या खंड (खग) के अनुसार बी एच श्रृंखला के लिए पात्र नहीं है तब ऐसा यान संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में विद्यमान नियमित रजिस्ट्रीकरण श्रृंखला से नए रजिस्ट्रीकरण चिन्ह् के समनुदेशन के लिए दायी होगा और ऐसा यान संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के कराधान नियमों के अनुसार मोटर यान कर के लिए दायी होगा :

परन्तु यह भी कि यदि बी एच श्रृंखला में रजिस्ट्रीकृत कोई यान किसी ऐसे व्यक्ति के नाम में अंतरित किया जाता है जो बी एच श्रृंखला के लिए पात्र है, तब ऐसा यान जब तक अन्तरिती बी एच श्रृंखला के लिए पात्र रहता है, तब तक बी एच श्रृंखला के अधीन विधिमान्य रूप से रजिस्ट्रीकृत बना रहेगा:

परन्तु यह भी कि बी एच श्रृंखला में रजिस्ट्रीकृत यान का स्वामी किसी समय नियम 47 के उपनियम (1) के खंड (गक) या खंड (गख) के अनुसार, बी एच श्रृंखला के लिए पात्र नहीं रह जाता है तब ऐसा यान ऐसी शेष अवधि, जिसके लिए कर का संदाय कर दिया है, के लिए बी एच श्रृंखला के अधीन रजिस्ट्रीकृत बना रहेगा।"।

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्त:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(4) यदि किसी समय, किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की नियमित श्रृंखला में रजिस्ट्रीकृत किसी यान का स्वामी नियम 47 के उपनियम (1) के खंड (गक) या खंड (गख) के अनुसार बी एच श्रृंखला के लिए पात्र हो जाता है, तब ऐसे यान का स्वामी, ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जिसमें ऐसा यान वर्तमान में रजिस्ट्रीकृत किया गया है या रखा गया है, के किसी ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को बी एच श्रृंखला में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह् के समनुदेशन के लिए प्ररूप 27क में आवेदन करेगा।

(5) बी एच श्रृंखला में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह् के समनुदेशन पर, उपनियम (4) में निर्दिष्ट यान का स्वामी उपनियम (3) के अनुसार कर का संदाय करने का दायी होगी।"।

5. उक्त नियम में, प्ररूप 27 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप 27 क"

[नियम 51बी (4) देखें]

बीएच-श्रृंखला में नए पंजीकरण चिह्न के समनुदेशन के लिए आवेदन

सेवा में,

रजिस्टरकर्ता प्राधिकारी,

....

मैं/हम.. का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री मोटर यान संख्यांक... चैसिस संख्या......................... [इंजन संख्या या बैटरी चलितयानों के मामले में मोटर संख्या]......................यान का प्रकार.................. का/के रजिस्ट्रीकृत स्वामी होने के नाते ....एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अपने वाहन का बीएचश्रृंखला में रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए पात्र हूं।

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण दिनांक .... तक विधिमान्य है और यह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निलंबित या रद्द नहीं किया गया है।

मैं इस मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करता हूं/करते हैं।

मैं प्ररूप 60 या शासकीय पहचान पत्र में अपना कार्य प्रमाण पत्र/सेवा प्रमाणपत्र संलग्न करता हूं।

यान अवक्रय करार/पट्टा करार /उपप्राधीयन के समझौते के अध्याधीन नहीं है।

यान .... के साथ किए गए अवक्रय करार/पट्टा करार/ उपप्राधीयन के समझौते के अध्याधीन है और यदि वित्तपोषक द्वारा "अनापत्ति प्रमाण पत्र" स्वीकार/अस्वीकार कर दिया गया है। यदि वित्तपोषक द्वारा "अनापत्ति प्रमाण पत्र" स्वीकार/अस्वीकार कर दिया गया है, तो आवेदक को इस आवेदन के साथ धारा 51 की उप-धारा (8) की अपेक्षानुसार घोषणा फाइल करनी होगी।

मेरा मोबाइल नंबर .... और ईमेल (यदि है) ....

तारीख ....

आवेदक के हस्ताक्षर/ई-हस्ताक्षर

6. उक्त नियमों में, प्ररूप 60 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"प्रारूप 60"

[नियम 47(1) (एक) देखें]

कार्य प्रमाणपत्र

सेवा में,

रजिस्टरकर्ता प्राधिकारी,

....

....

हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि श्री ....पुत्र/पुत्री................................ स्थाई पता .... हमारी कंपनी/संगठन में .... से काम कर रहा है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हमारे चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों या उससे अधिक में कार्यालय हैं। हमारे संगठन का विवरण इस प्रकार है :-

1. संगठन का नाम-
2. संगठन की पंजीकरण संख्या-
3. जीएसटी पंजीकरण संख्या-
4. पैन संख्या-
5. रजिस्ट्रीकृत/कारपोरेट कार्यालय का पता-
6. ईमेल पता -

कर्मचारी का विवरण इस प्रकार है-

1. कर्मचारी का रोजगार पहचान पत्र -
2. कर्मचारी का यूएएन (अद्वितीय खाता संख्या)-
3. कर्मचारी का मोबाइल नंबर-
4. कर्मचारी का ईमेल पता -
5. कर्मचारी का पैन संख्या-

आवेदक के हस्ताक्षर/ई-हस्ताक्षर

संगठन के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पता

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नंबर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई-मेल पता

दिनांक .... आधिकारिक मुहर"।

[फा. सं. आरटी-11036/48/2019-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 02 .06.1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. 863(अ), तारीख 01.12.2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2022

G.S.R. 879(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number G.S.R. 762 (E), dated the 4th October, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 4th October, 2022 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 6th October, 2022;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a), (d) and (p) of section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Twenty-third Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 47, in sub-rule (1), in item (cb), after the words "Official Identity Card", the words " or Service Certificate" shall be inserted.

3. In rule 48 of the said rules, in sub-rule (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided that application for registration of vehicle under BH series, opted voluntarily by the vehicle owner, shall be made to any registering authority of the state, in which the vehicle owner has either permanent residence or place of work and the registration mark shall be generated randomly through the portal after verification of working certificate in Form 60 or Official identity card / Service Certificate, as the case may be, by the registering authority.".

4. In rule 51B of the said rules, -

(a) in sub-rule (3), after the proviso, the following provisos shall be inserted, namely: -

"Provided further that if a vehicle registered in BH-series, is transferred in the name of such person who is not eligible for BH-series, as per clause (ca) or (cb) of sub-rule (1) of rule 47, then, such vehicle shall be liable for assignment of new registration mark from regular registration series prevailing in the concerned State or Union Territory and such vehicle shall also be liable for motor vehicle tax as per the taxation rules of concerned State or Union Territory:

Provided also that if a vehicle registered in BH-series, is transferred in the name of such person who is eligible for BH-series, then such vehicle shall continue to be validly registered under BH-series so long as transferee remains eligible for BH-series:

Provided also that if at any time owner of the vehicle registered in BH-series, ceases to be eligible for BH-series, as per clauses (ca) or (cb) of sub-rule (1) of rule 47, then such vehicle shall continue to be registered under BH-series for the remaining period for which tax has been paid.".

(b) after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(4) if at any time, owner of a vehicle registered in regular series of any State or Union Territory becomes eligible for BH-series as per clause (ca) or (cb) of sub-rule (1) of rule 47 and owner of such vehicle opts for registration mark in BH-series for such vehicle, then owner of such vehicle shall apply in Form 27A for assignment of registration mark in BH-series to any registering authority of the State or Union Territory in which such vehicle is currently registered or placed.

(5) On assignment of registration mark in BH-series, the owner of the vehicle referred to in sub-rule (4) shall be liable to pay tax as per sub-rule (3).".

5. In the said rules, after Form 27, the following Form shall be inserted, namely:-

"FORM 27A

[See rule 51B (4)]

Application for assignment of new registration mark in BH-Series

To

The Registering Authority,

....

I/We..son/wife/daughter of ....
being the Registered Owner of Motor Vehicle No. .... bearing Chassis No. ....

[Engine number or motor number in the case of Battery Operated Vehicles] Type of vehicle...
hereby declare that I am eligible for getting my vehicle registered in BH-Series.

I hereby declare that the registration is valid up ....and it has not been suspended or cancelled under the provisions of this Act.

I enclose the certificate of registration of this motor vehicle.

I enclose my working certificate in Form 60 or official identity card / Service Certificate.

*The vehicle is not subject to an agreement of hire-purchase/lease/hypothecation.

The vehicle is subject to an agreement of hire-purchase/lease/hypothecation with

.... and the NOC has been granted/refused by the Financier thereunder. If "No Objection Certificate" has been refused by the Financier, the applicant should file along with this application a declaration as required under sub-section (8) of section 51.

My mobile number is .... and email (if any) is ....,

Date...........................

Signature/ e-signature of the Applicant".

6. In the said rules, for Form 60, following Form shall be substituted, namely:-

"Form 60

[See rule 47(1) (ca)]

Working Certificate

To

The Registering Authority,

....

....

We hereby declare that Shri ....*...................................S/o/ D/o.............................. permanent address ....is working in our company/organization since.................................... It is further to certify that we have offices in four States/UTs or more. Details of our organisation is as follows-

1. Name of organisation -
2. Registration number of organization -
3. GST registration number (optional) -
4. PAN -
5. Address of registered/corporate office -
6. E- mail address –

Details of employee is as follows-

1. Employment id of employee-
2. UAN (Unique Account Number) of employee-
3. Mobile number of employee-
4. E- mail address of employee –
5. PAN of employee-

Signature /e-signature of the Applicant

Signature of the Authorised Signatory of the Organisation

Name of the Authorised Signatory

Address of the Authorised Signatory

Mobile number of the Authorised Signatory

E-mail address of the Authorised Signatory

Date...................................... official seal".

[F. No. RT-11036/48/2019-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. 863(E), dated the 1st December 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 अग्रहायण 1943 (श0)

(सं0 पटना 962) पटना, बृहस्पतिवार, 25 नवम्बर 2021

परिवहन विभाग

अधिसूचना

25 नवम्बर 2021

सं० 02/08–01/2021–7443/परि0—बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016–सहपठित–बिहार मोटर वाहन करारोपण (यथा संशोधित) अधिनियम, 1994 की धारा–6 (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी एवं निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले वैसे पदाधिकारी/कर्मचारी, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण होते हैं, जिसके फलस्वरुप उनके निजी वाहन के स्थानांतरण में होने वाले कठिनाईयों को देखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–594, दिनांक–26.08.2021 द्वारा केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम, 47, 48, 50, 51 एवं 54 में संशोधन करते हुए लागू किये गये BH-Series को राज्य में लागू करने हेतु बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–7(1)–सह–पठित बिहार वित्त अधिनियम, 2013 की धारा–9 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना सं0–5786, दिनांक–07.12.2018 की अनुसूची–1 भाग (क) की विवरणी के पश्चात् एक नोट निम्न प्रकार से जोड़ा जाता है :–

"नोट– BH-Series रजिस्ट्रीकरण चिन्ह् के आवंटन के मामले में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0–सा0का0नि0 594 (अ), दिनांक–26.08.2021 के प्रावधान बिहार राज्य में यथास्थिति लागू होंगे।"

2. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

Transport Department

Notification

25th November 2021

No.-02/08-01/2021-7443/परि०.—Considering the difficulties faced by the officers/employees of the Government sector and Private sector, who are transferred from one state to another state and face diffculties in transfer of their private vehicle, the BH-Series has been introduced by Ministry of Road Transport and Highways, Government of India through notification no.- GSR-594(E), dated-26.08.2021 by amending the rule-47, 48, 50, 51 & 54 of Central Motor Vehicle Rule, 1989, for the enforcement of the same in the State of Bihar, exercising the power conferred by section-6 (d) of Bihar Motor Vehicle Taxation (as amended) Act, 1994 read with Bihar Motor Vehicle Taxation (amendment) Act, 2016, after the detail of schedule-1 part (A) of notification no.-5786, dated-07.12.2018 issued under section-9 of the Bihar Finance Act, 2013 read with section 7 (1) of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994, one note is being added in the following way :-

"Note- In the cases of registration in BH-Series, the provisions made by notification no.GSR-594(E), dated-26.08.2021 of Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, shall be enforced in the State of Bihar as it is."

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in Bihar Gazette.

By order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR AGARWAL,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 962-571+10-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082021-229283
CG-DL-E-27082021-229283

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 27, 2021/भाद्र 5, 1943
No. 482]	NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 27, 2021/BHADRA 5, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 594(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 276(अ) तारीख 6 अप्रैल, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन व्यक्तियों से जिनका इससे प्रभावित होना संभाव्य है उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान हो जाने से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

राजपत्र में उक्त अधिसूचना की प्रतियां 6 अप्रैल, 2021 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त किए गए आक्षेप और सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है।

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1989 (1989 का 59) की धारा 64 के खंड (क), खंड (घ) और खंड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (बीसवां संशोधन) नियम 2021 है।

(2) ये 15, सितंबर 2021 से प्रवृत्त होंगें।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 47 के उपनियम (1) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(गक) प्ररूप 60 में कार्यात्मक प्रमाण पत्र निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदक के मामले में बीएच-सीरीज रजिस्ट्रीकरण चिन्ह् के लिए लागू होगा।

(गख) आधिकारिक पहचान-पत्र सरकारी कार्यालय में कार्य करने वाले आवेदक के मामले में बीएच-सीरीज रजिस्ट्रीकरण चिन्ह् के लिए लागू होगा।"

3. उक्त नियम के नियम 48 में उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु बीएच-सीरीज के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के मामले में यान स्वामी के द्वारा स्वेच्छापूर्वक चुनाव किया जाएगा, रजिस्ट्रीकरण चिन्ह् प्ररूप 60 में कार्यात्मक प्रमाण-पत्र या आधिकारिक पहचान-पत्र जैसा भी मामला हो के सत्यापन के पश्चात् पोर्टल के माध्यम से यादृच्छिक रुप से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।"

4. उक्त नियम के नियम 50 में उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(8) पोर्टल के माध्यम से यादृच्छिक रूप से जारी किया गया बीएच-सीरीज यान के लिए रजिस्ट्रीकरण चिन्ह् सफेद पृष्ठ भूमि पर काले रंग में होगा और निम्नलिखित रीति में प्रदर्शित होगा, अर्थात्:-

XX रजिस्ट्रीकरण के वर्ष के अंतिम दो अंक	XX भारत सीरीज कोड (2) अक्षर "BH" के रुप में	#### XX चार अंको 0001 से 9999 के पश्चात् अक्षर (अक्षरों) A, B, C, D....... और उसके बाद AA, AB.......,AZ, BA, BB......से ZZ तक से 'I' & 'O' वर्जित होगें

5. उक्त नियम में नियम 51क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"51ख. मोटर यान कर के सिद्धांत. – (1) पूर्ण रुप से बने हुए गैर यातायात यान के मामले में मोटर यान कर माल और सेवा कर (जीएसटी) को अपवर्जित करके बीजक मूल्य के आधार पर पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से प्रकल्पित किया जाएगा।

(2) मोटर यान कर बीएच-सीरीज गैर यातायात यान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण के समय राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उद्ग्रहीत किया जाएगा जो निम्नलिखित प्रकार से होगा, अर्थात् :-

क्रम सं.	बीजक मूल्य	मोटर यान कर (बीजक मूल्य का %)	टिप्पनियां
1.	10 लाख से कम	8%	2% अतिरिक्त भार डीजल वाहनों के लिए उद्ग्रहीत किया जा सकेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2% कम कर भार हो सकेगा।
2	10-20 लाख 10%	10%	
3.	20 लाख से अधिक	12%	

(3) उस मामले में जहां यान बीएच-सीरीज रजिस्ट्रीकरण चिन्ह् रखता है तो मोटर यान कर निम्नलिखित रीति से दो वर्ष या दो से गुणज जैसा भी मामला हो, के लिए पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से उद्ग्रहीत किया जाएगा, अर्थात्:-

बीएच-सीरीज रजिस्ट्रिकरण के अधीन यान के लिए दो वर्ष हेतु मोटर यान कर	=	बीजक मूल्य के अनुसार मोटर यान कर * 1.25*2 ――――― 15 (अगले पूर्णांक के लिए पूर्ण)
टिप्पण : मोटर यान कर के संदाय की नियत तारीख से सात दिनों के पश्चात् सड़क कर के संदाय में देरी के मामले में एक सौ रु. प्रति दिन की अतिरिक्त फीस उद्ग्रहीत की जाएगी।		

परन्तु पहले रजिस्ट्रीकरण की तारीख से चौदहवें वर्ष पर और पश्चात् मोटर यान कर (अगले पूर्णांक के लिए पूर्ण) वार्षिक रूप से उद्गृहीत किया जाएगा जो उपनियम (3) में यथा उल्लिखित कर का आधा होगा ।

6. उक्त नियम के नियम 54 में उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) यह नियम बीएच-सीरीज रजिस्ट्रीकरण चिन्ह रखने वाले यान पर लागू नहीं होंगें ।

परन्तु बीएच-सीरीज रजिस्ट्रीकरण चिन्ह रखने वाले यान का स्वामी तीस दिनों के भीतर पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से उस मामले में जब यान उस राज्य के अलावा जहां यान पहले रजिस्ट्रीकृत था, में है प्ररूप 33 में अपने निवास स्थान के बारे में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को सूचित करेगा," ।

7. उक्त नियम में प्ररूप 59क के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप 60

[नियम 47(1) (गक) देखिए]

कार्यात्मक प्रमाण-पत्र

सेवा में

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी,

हम यह घोषणा करते हैं कि ------------------------------ पुत्र/पुत्री ----------------हमारी कंपनी/संगठन में ----------------- से कार्य कर रहे हैं । और यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारे चार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों या अधिक में कार्यालय हैं ।

आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

संगठन के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

तारीख : -----------" ।

[फा. सं. आरटी-11036/48/2019-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ) तारीख, 2 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि. 575(अ), तारीख 11. 08. 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2021

G.S.R. 594(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 276 (E), dated the 06[th] April, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

Whereas, copies of the said notification published in the Gazette were made available to the public on the 06th April, 2021;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a), clause (d) and clause (p) of section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Twentieth Amendment) Rules, 2021.

2. They shall come into force with effect from the 15th day of September, 2021.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 47, in sub-rule (1), after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(ca) working certificate in Form 60, in case the applicant working in private sector applies for BH-Series registration mark;

(cb) Official Identity Card, in case the applicant working in Government office applies for BH-series registration mark;".

3. In the said rules, in rule 48, after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that, in case of application for registration of vehicle under BH series, opted voluntarily by the vehicle owner, the registration mark shall be generated randomly through the portal after verification of working certificate in Form 60 or Official identity card, as the case may be, by the registering authority."

4. In the said rules, in rule 50, after sub-rule (7), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(8) The registration mark for BH-series vehicle generated randomly through the portal shall be in black on white background and shall be exhibited in the following manner, namely:—

XX	XX	#### XX
Last two digits of the year of registration	Bharat Series code (2) letters as " BH"	4 numerals 0001 to 9999 followed by letter(s) A, B, C ...and then AA,AB.....AZ, BA, BB .....to ZZ excluding 'I' & 'O' ".

5. In the said rules, after rule 51A, the following rule shall be inserted, namely:—

"**51 B. Principle for motor vehicle tax.**—(1) in case of fully built non-transport vehicles, the motor vehicle tax shall be calculated electronically through the portal on the basis of invoice price excluding Goods and Services Tax (GST).

(2) The Motor Vehicle Tax levied by the States or Union Territories at the time of registration in respect of BH - Series non-transport vehicles shall be the following, namely:—

Sr. No.	Invoice Price	Motor vehicle Tax (% of Invoice Price)	Remarks
1.	Below Rs 10 lakh	8%	2% extra charge shall be levied for diesel vehicles. Electric vehicles shall be charged 2% less tax.
2.	Rs 10-20 lakh	10%	
3.	Above Rs 20 lakh	12%	

;

(3) In case, where the vehicle bears BH-Series registration mark, the motor vehicle tax shall be levied electronically through the portal for two years, or in multiples of two, as the case may be, in the following manner, namely:—

Motor Vehicle tax for two years for the vehicle under BH-series registration	=	Motor Vehicle tax as per Invoice Price * 1.25 *2 / 15 (Rounded to next integer)
Note:—After seven days from the due date of payment of motor vehicle tax, an additional fee of one hundred rupees per day shall be levied in case of delay in payment of road tax.		

Provided that on and after fourteenth year from the date of first registration, the motor vehicle tax (Rounded to next integer) shall be levied annually which will be half of the tax as mentioned in sub-rule (3)."

6. In the said rules, in rule 54, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3) This rule, shall not apply to a vehicle having BH- Series registration mark.

Provided that the owner of the vehicle bearing BH Series registration mark shall intimate the registering authority of his place of residence in Form 33, within thirty days, electronically through the portal, in case the vehicle is being kept in the State other than where the vehicle was earlier registered,".

7. In the said rules, after Form 59A, the following Form shall be inserted, namely:—

"Form 60

[See rule 47(1) (ca)]

Working Certificate

To

The Registering Authority,

....

....

We hereby declare that .... S/o/ D/o............................ is working in our company/organization since.................................. It is further to certify that we have offices in four States/UTs or more.

. Signature or thumb impression of the Applicant

Signature of the Authorised Signatory of the Organisation

Name of the Authorised Signatory

Date................................. official seal".

[F. No. RT-11036/48/2019 -MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 575(E), dated 11.08.2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR

परिशिष्ट 3

क्र०सं०	जिला का नाम	BH-Series हेतु प्राप्त कुल आवेदन की सं०	नये वाहन के BH-Series हेतु प्राप्त आवेदन की सं०	पुराने वाहन के BH-Series हेतु प्राप्त आवेदन की सं०	नये वाहन के BH-Series हेतु		पुराने वाहन के BH-Series हेतु		लंबित आवेदन की कुल सं०
					स्वीकृत	अस्वीकृत	स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	Araria	25	25	0	25	0	0	0	0
2	Arwal	11	11	0	11	0	0	0	0
3	Aurangabad	13	13	0	13	0	0	0	0
4	Banka	4	4	0	4	0	0	0	0
5	Begusarai	306	306	0	301	0	0	0	5
6	Bettiah	30	30	0	30	0	0	0	0
7	Bhagalpur	13	13	0	13	0	0	0	0
8	Bhojpur	124	124	0	124	0	0	0	0
9	Buxar	33	33	0	30	0	0	0	3
10	Darbhanga	41	41	0	41	0	0	0	0
11	Gaya	116	116	0	115	0	0	0	1
12	Gopalganj	15	15	0	15	0	0	0	0
13	Jamui	11	10	0	10	1	0	0	0
14	Jehanabad	8	8	0	8	0	0	0	0
15	Kaimur	15	15	0	11	4	0	0	0
16	Katihar	22	22	0	22	0	0	0	0
17	Khagaria	27	26	24	1	0	0	0	0
18	Kishanganj	9	9	0	9	0	0	0	0
19	Lakhisarai	7	7	0	7	0	0	0	0
20	Madhepura	3	3	0	3	0	0	0	0
21	Madhubani	19	19	0	19	0	0	0	0
22	Motihari	87	87	0	79	8	0	0	0
23	Munger	16	16	0	16	0	0	0	0
24	Muzaffarpur	455	455	0	455	0	0	0	0
25	Nalanda	45	45	0	45	0	0	0	0
26	Nawada	37	30	0	30	7	0	0	0
27	Patna	1567	1567	2	1435	130	2	0	0
28	Purnea	38	38	0	38	0	0	0	0
29	Rohtas	50	50	0	49	0	0	0	1
30	Saharsa	12	12	0	12	0	0	0	0
31	Samastipur	34	34	0	34	0	0	0	0
32	Saran (Chapra)	53	53	0	51	2	0	0	0
33	Sheikhpura	3	3	0	3	0	0	0	0
34	Sheohar	3	3	0	3	0	0	0	0
35	Sitamarhi	4	0	4	0	0	0	0	0
36	Siwan	114	114	0	114	0	0	0	0
37	Supaul	2	2	0	2	2	0	0	0
38	Vaishali	27	27	0	25	1	0	0	1
	TOTAL	3399	3386	30	3203	155	2	0	11

Table title: जिला परिवहन कार्यालयों से प्राप्त BH-Series से संबंधित प्रतिवेदन

बि०स०मु०-69 (एल०ए०) 2023-24 डी०टी०पी०-300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2024